शिक्षा की गिरती प्राथमिकता

डॉ. रामप्रताप गुप्ता

भारत में शिक्षा लंबे समय से उपेक्षा की शिकार रही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सन 1966 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अगले 20 वर्षों में अर्थात सन 1986 तक हमारे शिक्षा के बजट को बढ़ाकर राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत तक करना होगा। सन 1986 तक हमारा शिक्षा का बजट 6 प्रतिशत तो हुआ ही नहीं, उसके बाद लगभग 40 वर्ष गुज़र जाने के बाद भी केन्द्र और राज्य सरकारों के शिक्षा बजटों को मिलाकर आज भी हमारा शिक्षा बजट राष्ट्रीय आय के 4 प्रतिशत के आसपास ही झूल रहा है।

अपर्याप्त बजट और अन्य कारणों के चलते भारत में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक स्तर अत्यंत निम्न रहा है। वर्तमान में देश के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय या आई.आई.टी. व आई.आई.एम. जैसे संस्थानों में से कोई भी विश्व के श्रेष्ठतम 100 संस्थानों में स्थान नहीं पा सका है। नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. अर्मत्य सेन एवं ज़्यां ड्रेज़ ने अपनी पुस्तक *'एन अन्सर्टेन ग्लोरीः इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्स'* में शिक्षा की उपेक्षा के संदर्भ में लिखा है कि ज़िम्मेदार घटकों द्वारा अपने दायित्व एवं कर्त्तव्य का पालन न करने के कारण आज भी भारत की चौथाई आबादी निरक्षर भट्टाचार्यों की है।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं और शिक्षकों के अभाव के फलस्वरूप बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियां भी अत्यंत निम्न स्तरीय रही हैं। प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था 'प्रथम' की सन 2014 की रिपोर्ट के अनुसार 6 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय नहीं है, फिर जहां ये हैं, उनमें से 28.5 प्रतिशत उपयोग के काबिल ही नहीं है। 18.8 प्रतिशत स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग शौचालय ही नहीं है, और जहां है उनमें से चौथाई से अधिक उपयोग के काबिल ही नहीं है। अनेक स्कूलों में पर्याप्त कमरे न होने के कारण एक ही कमरे में एक से अधिक कक्षाएं लगती है।

शिक्षकों के पद भी भरे नहीं जाते है, परिणामस्वरूप शिक्षकों का अभाव तो सतत बना ही रहता है। सरकारी स्कूलों की बदहाली का एक परिणाम यह हो रहा है कि समर्थ परिवारों के बच्चे शासकीय स्कूलों की बजाय निजी विद्यालयों में भर्ती होने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। शासकीय स्कूल तो मात्र गरीब और आर्थिक दृष्टि से असमर्थ परिवारों के विद्यालय बन गए हैं। निजी स्कूलों में भर्ती बच्चों का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में से निजी विद्यालयों में जाने वाले बच्चों का प्रतिशत सन 2006 में 18.7 प्रतिशत था जो बढ़कर सन 2010 में 24.3 प्रतिशत, सन 2013 में 29 प्रतिशत और सन 2014 में 30.8 प्रतिशत हो गया है।

प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे शासकीय स्कूलों में प्रदत्त शिक्षा का अत्यंत निम्न स्तरीय होना है। 'प्रथम' की वार्षिक रिपोर्ट 2014 के अनुसार ग्रामीण विद्यालयों में कक्षा 5 के 48 प्रतिशत बच्चे ही कक्षा 2 की पुस्तक को धारा प्रवाह पढ़ पाए और 26 प्रतिशत बच्चे ही तीन अंकों की संख्या में एक अंक की संख्या से भाग दे पाए।

स्पष्ट है कि शासकीय स्कूलों के बच्चों की शिक्षा का स्तर अत्यंत दयनीय है। प्रदत्त शिक्षा के इतने निम्न स्तर का अर्थ यह हुआ कि अपने बचपन के 5 वर्ष स्कूल में गुज़ारने के बावजूद वे अपढ़ ही रह जाते हैं। पालक अपने बच्चों को निजी ट्यूशन पर भेजने को बाध्य हैं, भले ही उन्हें अपने अन्य ज़रूरी खर्चों में कटौती क्यों न करना पड़े।

इस पृष्ठभूमि में सन 2014 में जब नई सरकार बनी तो अपेक्षा थी कि अब शिक्षा के क्षेत्र में भी उसे बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे, शिक्षा के भी अच्छे दिन आएंगे।

शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद शिक्षा मंत्री ने शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए कई नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की हैः

1. पढ़े भारत, बढ़े भारत - बच्चों में पढ़ने, लिखने तथा गणित में रुचि पैदा करने हेतु कार्यक्रम।

2. शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण हेतु पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन - इसके अंतर्गत शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 100 नए शिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना।

3. कौशल केन्द्रों की स्थापना - वर्तमान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाएं पास करने के बाद छात्रों में रोज़गार हेतु आवश्यक कौशल का अभाव रहता है, इस गंभीर समस्या के हल के लिए उद्योगों के सहयोग से 100 दीनदयाल उपाध्याय केन्द्रों की स्थापना करना, जहां युवकों को मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके।

4. जो छात्र आगे पढ़ने के इच्छुक हैं परन्तु आर्थिक अभावों और अन्य कारणों से पढ़ नहीं पाते है, उनकी सुविधा हेतु अनेक पाठ्यक्रमों की *ऑन लाइन* सुविधाएं प्रदान करना।

5. शैक्षणिक नेटवर्क की स्थापना हेतु विश्व स्तर पर पहल - भारतीय युवाओं और छात्रों के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हेतु अन्य राष्ट्रों की संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना और उन्हें भारत में अपनी शाखाएं स्थापित करने को प्रोत्साहित करना।

6. उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में नए भारतीय तकनीकी संस्थानों, प्रबंध संस्थानों की स्थापना और इसी हेतु नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करना आदि। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन करना।

शैक्षणिक स्तर के संवर्धन और उन्हें विश्व स्तरीय बनाने और छात्रों की रोज़गार हेतु उपयुक्तता में वृद्धि हेतु कौशल संवर्धन आदि कार्यक्रमों की घोषणाओं की पृष्ठभूमि में यह अपेक्षा स्वाभाविक ही थी कि वर्तमान और आने वाले वर्षों में शिक्षा विभाग के बजटों में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी और शिक्षा का बजट भारत की राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत के आसपास हो सकेगा।

परन्तु सरकार के प्रथम बजट (सन 2015-16) की तुलना सन 2013-14 में शिक्षा पर वास्तविक व्यय से करने पर पाते हैं कि सन 2013-14 में शालेय शिक्षा और उच्च शिक्षा पर वास्तविक व्यय क्रमशः 46,856 करोड़ और 24,465 करोड़ और कुल शिक्षा बजट 72,231 करोड़ था, जो सन 2014-15 के बजट में बढ़ाकर 55,115 करोड़ और 27,656 करोड़ और कुल शिक्षा बजट 82,771 करोड़ कर दिया गया। नई सरकार का पूरे वर्ष का बजट सन 2015-16 का बजट है। उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमों को देखते हुए अपेक्षा थी कि सरकार इस बजट में प्रभावी वृद्धि करेगी। लेकिन जब हम सन 2015-16 के शिक्षा बजट पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि शालेय शिक्षा का बजट 42,220 करोड़ तथा उच्च शिक्षा का 26,855 करोड़ रुपए अर्थात कुल शिक्षा बजट 69,075 करोड़ रुपए है जो उसके पूर्व वर्ष के 82,771 करोड़ की तुलना में 16.5 प्रतिशत कम है। अगर इस अवधि में कीमतों में वृद्धि को समायोजित कर वास्तविक कमी को देखेंगे तो यह कमी 25 प्रतिशत के बराबर आती है।

विडंबना यह है कि सरकार ने अनेक नई लोक-लुभावन योजनाओं की घोषणा तो कर दी, परन्तु इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि करने के स्थान पर पिछले बजट की तुलना में भी शिक्षा के बजट में 25 प्रतिशत की वास्तविक कमी कर दी। ***(स्रोत फीचर्स)***

2015 के स्रोत सजिल्द का ऑर्डर करें

मूल्य 200 रुपए (25 रुपए डाक खर्च)

एकलव्य के नाम ड्राफ्ट या मनीऑर्डर से भेजें।

हमारा पता - *ई-10,शंकर नगर, बी.डी.ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.) 462 016*